भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 104

जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

कावेरी नदी में नए बांध का निर्माण

104. श्री एस. कल्याणसुन्दरमः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कावेरी नदी के निचले तटवर्ती राज्यों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने कावेरी नदी पर एक नए बांध के निर्माण के लिए कोई मंजूरी दी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): केंद्र सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.2.2018 के अपने आदेश द्वारा यथासंशोधित कावेरी जल विवाद अभिकरण के निर्णय, को लागू करने हेतु अंतर-राज्य नदी जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1956 की धारा 6 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 01.06.2018 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से कावेरी जल प्रबंधन योजना (सीडब्ल्यूएमएस) को अधिसूचित किया था जिसमें अन्य के साथ-साथ जिसमें कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) और कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) का गठन किया जाना भी शामिल है।

उक्त राजपत्र अधिसूचना में प्रदत्त सीडब्ल्यूएमए की शक्तियों, कार्यों और दायित्वों में उलिलखित है कि यह प्राधिकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यथासंशोधित अधिकरण के निर्णय का अनुपालन और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु उसे प्रदान की गई सभी शक्तियों का उपयोग करेगा और इसके लिए आवश्यक, पर्याप्त और त्वरित किसी भी प्रकार और सभी प्रकार के कार्यों का निवर्हन करेगा जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. कावेरी जल का भंडारण, आवंटन, विनियमन और नियंत्रण;

ii. जलाशयों के संचालन की निगरानी और विनियमन समिति की सहायता से वहां से जल निकासी का विनियमन;

iii. कर्नाटक और तमिलनाडु की सामान्य सीमा पर स्थित अंतर-राज्य संपर्क बिंदु, जो इस समय बिलिगुंडुलु गेज और डिस्चार्ज स्टेशन के रूप में जाना जाता है, के माध्यम से कर्नाटक द्वारा विनियमित जल निकासी

सीडब्लयूआरसी का कार्य, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकरण को दिए निर्देशों सहित यथासंशोधित अधिकरण के अंतिम निर्णय में निहित प्रावधानों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।

सीडब्ल्यूआरसी और सीडब्ल्यूएमए की नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिनमें कावेरी बेसिन में जलवायु-जलविज्ञान की परिस्थितियों, निर्दिष्ट जलाशयों में जल- भंडारण की स्थिति, कावेरी बेसिन में निर्दिष्ट बांधों में आने वाले/निकास जल प्रवाह और कर्नाटक राज्य और तमिलनाडु राज्य के बीच अंतर-राज्य संपर्क बिंदु बिलिगुंडुलु में प्रवाह की मात्रा सुनिश्चित किए जाने पर विस्तार से चर्चा की जाती है और सभी पक्षकार सदस्यों, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श से निणर्य लिए जाते हैं।

मौजूदा जल वर्ष 2024-25 (जल वर्ष 1 जून से 31 मई तक) के दौरान, अब तक प्राधिकरण की 7 बैठकें और विनियमन समिति की 14 बैठकें की जा चुकी हैं।

(ख): केंद्र सरकार द्वारा कावेरी नदी पर किसी नए बांध के निर्माण हेतु अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है।

*****